

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-5/33/2007/पर्य.—राज्य शासन एतद्वारा श्री संतोष बाफना, विधायक जगदलपुर को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2.— छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अभिसूचना क्र. एफ 7-61/व.सं./2001, दिनांक 14 जून, 2002 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे तालिका के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी वनोपज के परिवहन हेतु अभिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु, क्रमशः उक्त तालिका के कॉलम (3), (4), (5) एवं (6) में उल्लिखित अनुसार वसूल किया जाने वाला शुल्क, निम्नानुसार नियत करती है—

तालिका

स. क्र.	वनोपज का नाम	विहित शुल्क			
		रु.	रु./ट्रक	रु./ट्राली	रु./बैलगाड़ी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाईमस्टोन, डोलोमाइट, फायरक्ले, मैंगनीज, कॉपर, रॉक-फॉस्फेट, पायरो-फिलाइट, डायोस्पोर, ओकर, बाक्साइट, कैलसाइट, कोयला, क्वार्टज, सिलिका सैंड, स्लेट, सोप-स्टोन, आयरन-ओर, सोना, कोरंडम एवं टीन अयस्क.	रु. 15/- प्रति टन	-	-	-
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, रेत एवं मुरुम.	रु. 10/- प्रति घ.मी.	-	-	-
3.	इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं बांस	-	रु. 230/- प्रति ट्रक या उसके भाग के लिये	रु. 115/- प्रति ट्राली या उसके भाग के लिये	रु. 15/- प्रति बैलगाड़ी या उसके भाग के लिये
4.	लघु वनोपज (विनिर्दिष्ट लघु वनोपज को छोड़कर)	-	रु. 55/- प्रति ट्रक या उसके भाग के लिये	रु. 25/- प्रति ट्रेक्टर या उसके भाग के लिये	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 06-02/2014/10-2 दिनांक 30-06-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Raipur, the 30th June 2015

No. 06-02/2014/10-2.—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001 and in supersession of this department's Notification No. F 7-61/F. C./2001, dated 14th June 2002, the State Government, hereby, fixes the fee as mentioned in column (3), (4), (5) and (6) of Table below respectively to be recovered for issue of transit pass for the transportation of corresponding forest produce as mentioned in column number (2) of the said Table, as under,—

TABLE

S. No.	Name of Forest Produce	Prescribed Fee			
		Rs.	Rs./Truck	Rs./Trolly	Rs./ Bullockcart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lime stone, Dolomite, Fire clay, Manganese, Copper, Rock-phosphate, Pyro-phyllite, Diaspore, Ochre, Bauxite, Calcite, Coal, Quartz, Silica Sand, Slate, Soap-stone, Iron-ore, Gold, Corundum and Tin ore.	Rs. 15/- Per ton	-	-	-
2.	Flag stone, Granite, Marble, Concrete, Stone, Sand & Murrum.	Rs. 10/- Per CMT	-	-	-
3.	Timber, Fuel & Bamboo.	-	Rs. 230/- Per Truck or its part	Rs. 115/- Per Trolly or its part	Rs. 15/- Per Bullock cart or its part
4.	Minor Forest Produce (except specified Minor Forest produce)	-	Rs. 55/- Per Truck or its part	Rs. 25/- Per Tractor or its part	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.